14

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

-: *परिपत्र* :-

क्रमांक 01- /व.नि.स./प्र.अ./लो.स्वा.यां./2005 रायपुर, दिनांक 15.04.2005

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन संबंधी पुस्तिका "बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995, भाग-दो" तैयार कर दिनांक 01 नवंबर, 1995 से प्रभावशील किया गया है । ज्ञात हो कि संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 22/2000, दिनांक 04.11.2000 के तहत मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका, 1995 भाग-1 एवं भाग-2 को छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रभावशील किया है । मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सतर्कता कोष्ठ) की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-छ-2/प्र.स.को./83, दिनांक 17 जनवरी, 1984 के तहत "वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए दिनांक 01 फरवरी 1984 से लागू किया गया था ।

बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995, भाग-दो लागू होने के पश्चात शेष सभी पूर्व के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार जो किसी भी विभाग विशेष को प्रत्यायोजित किये गये हो, को दिनांक 01 नवम्बर 1995 से समाप्त माना गया है । तात्पर्य है कि पूर्व में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लागू "मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार शासन द्वारा समाप्त किये जा चुके है । तत्संबंधी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी-17/1/95/सी/चार, दिनांक 05 अक्टूबर 1995 की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है ।

अतः एतद द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995, भाग-1 एवं भाग-2 में प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अतिरिक्त शेष सभी पूर्व प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों जो कि "मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" आदि में प्रदत्त है, को प्रयोग में न लाया जाय ।

(बी.एन. राय)
प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

13/4/05

पृ.क्र. 3718 /व.नि.स./प्र.अ./लो.स्वा.यां./2005 रायपुर, दिनांक 15.04.2005

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर मण्डल रायपुर, जगदलपुर मण्डल जगदलपुर, बिलासपुर मण्डल बिलासपुर, वि./यां. मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया इस परिपत्र में उल्लेखित तथ्यों को अपने अधीन पदस्थ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (सहायक अभियंताओं) के ध्यान में लाने का कष्ट करें ।

3. इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं शाखा प्रमुखों की ओर सूचनार्थ।
तकनिकी शाखा

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

(बी.एम. राय)
प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

13/4/05